"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015 — ज्येष्ठ 8, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2010/1-13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाये;

(ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ.) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ. 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (राजपत्रित) सेवा;

(ञ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ट) **"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त"** से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 15 की उप–धारा (3) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त आयुक्त;

(ठ) **"राज्य सूचना आयोग"** से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 15 के अधीन राज्य सूचना आयोग के रूप में गठित आयोग।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेंगी, अर्थात्:–

(क) पदोन्नति द्वारा; तथा

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती/पदोन्नति के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ/पदोन्नति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–तीन के कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

9. **पदोन्नति की पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति, वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अर्थात् अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाले प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचार का क्षेत्र रिक्त पदों की कुल संख्या के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि विचारण के उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या,

पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में रिक्त पदों की कुल संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25% तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

10. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 9 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

11. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–तीन के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता, इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसम्बर के बाद नहीं बढ़ाई जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

12. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः ऐसे व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, की नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

13. **परिवीक्षा.**— सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

15 **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रू.)	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सचिव	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000	10000	
2.	उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100	7600	
3.	अवर सचिव	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600	
4.	स्टॉफ ऑफिसर	03	प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600	
5.	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	
6.	जनसंपर्क अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	
7.	अनुभाग अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800	4400	
	योग	09				

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	पद/सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सचिव	01	—	—	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) संवर्ग के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
2.	उप सचिव	01	—	100%	—	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
3.	अवर सचिव	01	—	100%	—	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
4.	स्टॉफ ऑफिसर	03	—	—	100%	अन्य विभागों स प्रतिनियुक्ति द्वारा /संविदा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
5.	लेखाधिकारी	01	—	—	100%	छत्तीसगढ़ वित्त सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जायेंगे। उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा सेवा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
6.	जनसंपर्क अधिकारी	01	—	—	100%	छत्तीसगढ़ संचालनालय के जनसंपर्क अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा के आधार पर, पद भरे जायेंगे।
7.	अनुभाग अधिकारी	01	—	100%	—	आयोग के पात्र सहायक ग्रेड—एक से पद भरे जायेंगे, पदोन्नति हेतु आयोग के पात्र सहायक ग्रेड—एक की अनुपलब्धता की दशा में, पद, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा के आधार पर, भरे जायेंगे।
	योग	09				

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अवर सचिव	उप सचिव	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष एवं उसके द्वारा नामांकित सदस्य।	समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य विभाग/ कार्यालयों से इन वर्गों के किसी एक सदस्य को नामांकित करेगा।
2.	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	—तदैव—	—तदैव—	
3.	निज सहायक	निज सचिव	—तदैव—	—तदैव—	
4.	सहायक ग्रेड—एक	अनुभाग अधिकारी	—तदैव—	—तदैव—	

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

क्रमांक एफ 1–4/2010/1–13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–4/2010/1–13, दिनांक 23–05–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 23rd May 2015

NOTIFICATION

No. F 1-4/2010/1-13.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and promotion to the Chhattisgarh Information Commission (Gazetted) Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Information Commission (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 2015.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2 **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "**Appointing Authority**" in respect of the service or a post means Government or such authority to whom power of appointment to that service or post has been or may hereafter be delegated by the Government;

   (b) "**Committee**" means the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-III;

   (c) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "**Other Backward Classes**" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (f) "**Schedule**" means a schedule appended to these rules;

   (g) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (h) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (i) "**Service**" means the Chhattisgarh Information Commission (Gazetted) Services;

(j) **"State"** means the State of Chhattisgarh;

(k) **"State Chief Information Commissioner"** means Commissioner appointed under sub-section (3) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) as the State Chief Information Commissioner;

(l) **"State Information Commission"** means Commission constituted under Section 15 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) as the State Information Commission.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(ii) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of Pay etc.-** The classification of the service, the number of the post included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or a temporary basis.

6 **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by promotion; and

(b) by transfer/deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such service as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) and (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with State Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, he may with prior concurrence of the Genral Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribed.

(5) At the time of recruitment/Promotion to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of Government shall apply.

7. **Appointment to the Service.**- After the commencement of this rules, all appointments/Promotion to the service shall be made by the Appointing Autority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Appointment by Promotion.**- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in column (5) of the Schedule-III, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the committee, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994), shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the sub-rule (3) and instruction issued by the Genral Administration Department, from time to time.

9. **Conditions of Eligibility of Promotion.**- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of january of that year, had completed such number of years of Service as specified in column (4) of Schedule-III (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivelent thereto by the Government.

Explanation- The Method of computation for eligilibility for promotion - The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year, in which Departmental promotion committee is convened shall be counted from the calander year in which public servent has joined the feeder cader/part of service/pay scale of the service and not from the date of Joining of the cader/part of the service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis i.e. on seniority basis leaving unsuitable person, there shall be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority which shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant posts due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total number of vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government servants are not available for promotion then the area of consideration may be extended upto 7 times of the total number of

vacant posts filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category within above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated due to promotion/retirement during the period of 1 year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servants or upto 25 % of number of public servant included in the selection list, whichever is more, shall consider the name of public servant in requisite numbers for each cadre for the purpose of inclusion of their name.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued, from time to time, by the General Administration Department of Government shall be applicable for promotion.

10. **Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 9 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. In addition this a reserve list shall be prepared, which shall consist one and minimum 25% in each category, to fill the unexpected vacancies during the said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

11. **Select List.-** (1) The select list finally approved by the Appointing Authority shall be approved select list for promotion of the members of the civil services to the post as mentioned in column (3) of Schedule-III from the posts mentioned in column (2) of Schedule-III.

(2) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the selection list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

12. **Appointment to the Service from the Select List.-** (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the

service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

13. **Probation.-** Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

15. **Relaxation.**-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

16. **Repeal and Saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regards.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Joint Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule 5)

S. No.	Name of post included in the service	Total Number of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Secretary	01	Class – I	37400 - 67000	10000	
2	Deputy Secretary	01	Class – I	15600 - 39100	7600	
3	Under Secretary	01	Class – I	15600 - 39100	6600	
4	Staff Officer	03	Class – I	15600 - 39100	6600	
5	Accounts Officer	01	Class – II	15600 - 39100	5400	
6	Public Relation Officer	01	Class – II	15600 - 39100	5400	
7	Section Officer	01	Class – II	9300 - 34800	4400	
	Total	**09**				

SCHEDULE - II
(See rule 6)

S. No.	Name of post/ service	Total Number of duty Post	Percentage of number of posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment	By promotion of member of the service	By deputation or transfer of persons of other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Secretary	01	-	-	100%	The post is to be filled from Super time scale cadre officer of Indian Administrative Services by deputation/on contract basis.
2.	Deputy Secretary	01	-	100%	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, post shall be filled by Deputaion / on contract basis.
3.	Under Secretary	01	-	100%	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, post shall be filled by Deputaion / on contract basis.
4	Staff Officer	03	-	-	100%	Post shall be filled by Deputaion from other departments / on contract basis.
5.	Accounts Officer	01	-	-	100%	Post shall be filled by deputation from officers of Chhattisgarh Finance Services. In case of non availability of suitable officers, post shall be filled by Deputation/on contract Services basis.
6.	Public Relation Officer	01		-	100%	Post shall be from officers of Chhattisgarh Directorate of Public Relation by Deputaion/on contract basis.
7.	Section Officer	01		100%	-	Post shall be filled from eligible Assistant Grade-I of Commission, In case of non availability of eligible Assistant Grade-I of Commission for promotion, post shall be filled by Deputaion/on contract basis.
	Total	**09**				

SCHEDULE - III
(See rule 8)

S. No.	Name of service or post from which promotion to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum period of experience	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Under Secretary	Deputy Secretary	5 years	The State Chief Information Commissioner, Chairman and Members to be nominated by him.	In case of non availablity of member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes in the Committee, the State Chief Information Commissioner shall nominate any one member of these classes from other department/offices.
2	Section Officer	Under Secretary	---do---	---do---	
3	Personal Assistant	Personal Secretary	---do---	---do---	
4	Assitant Grade-I	Section Officer	---do---	---do---	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015